

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

श्री जाना गारी बनाम जौजी जलरी वगैरे
धारा 111, 128 वाद/प्रा0प0/अपील प्र0सं0 51/13

7/6/17

बाद जाँच वाद/प्रा0प0/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रक्रियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना क्लर्क हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 7/6/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

पक्षावली राजस्व कोष अदालत अतिथान
आभलीगढ पर पेश हुई। पक्षावली में
विर्षम अलग से लिखा गया था।
पक्षावली लिखा गया।

पक्षावली फौजले शुभा (हवा)
दाया नम्बर में कम बीजारी

३

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार-2017, दिनांक 17.06.2017 केम्प कोर्ट- आमलीगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री रेनु मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 41/2017

1. नाना पिता रतना गाडरी, निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।

-प्रार्थी

बनाम

1. गोपी पिता रतना गाडरी, निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. नन्दा पिता अमरा गाडरी, निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. नानू पिता भूरा खटीक, निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू.-राज.अधि., 1956
निर्णय दिनांक 17.06.2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू.-राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 05.06.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रतनपुरा प0म0 आमलीगढ तहसील हमीरगढ मे उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न0 195 रकबा 00-18 बीघा, आराजी नं0 197 रकबा 01-15, आराजी न0 324 रकबा 02-17 बीघा, आराजी नं0 543 रकबा 00-11 बीघा, आराजी नं0 548 रकबा 01-01 बीघा, आराजी नं0 620/333 रकबा 01-02 बीघा कुल किता 6 रकबा 08-04 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ीसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 07.06.2017 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 07 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने क उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित मे एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण क अवलोकन से यह बात है कि प्रार्थी का स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं ग्राम रतनपुरा प०म० आमलीगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न० 195 रकबा 00-18 बीघा, आराजी न० 197 रकबा 01-15, आराजी न० 324 रकबा 02-17 बीघा, आराजी न० 543 रकबा 00-11 बीघा, आराजी न० 548 रकबा 01-01 बीघा, आराजी न० 620/333 रकबा 01-02 बीघा कुल कित्ता 6 रकबा 08-04 बीघा भूमि की पत्थरगढी राजस्थान लैंड रिकॉर्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क 900/- रु० पक्षकार - प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें ।

आदेश आज दिनांक 17.06.2017 को खुला न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहें ।


उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ